उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-2
संख्या: 9/2018/557 /पैतीस-2-2018-3/39(9)/2018
लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित उप निदेशकों को नीचे उल्लिखित तालिका में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्तम्भ-5 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से एतदद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभयुक्ति
1	2	3	4	5	6
सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री :-					
1	रश्मि	गाजियाबाद	सहारनपुर मण्डल	प्रभाग मुख्यालय	जनहित में
2	संजीव कुमार सिंह	इटावा	आगरा मण्डल	सहारनपुर मण्डल	जनहित में
3	विनोद कुमार	एटा	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	प्रभाग मुख्यालय	जनहित में
4	अमलेन्दु राय	मऊ	प्रभाग मुख्यालय	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	जनहित में
5	अलका बहुगुणा ढौंडियाल	इलाहाबाद	प्रभाग मुख्यालय	लखनऊ मण्डल	जनहित में

2- सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह नवीन तैनाती स्थान पर एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा उसकी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये। यदि किसी अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास किया जाता है तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27 का उल्लघंन मानते हुए उसके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए निलम्बन के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 9/2018/557 (1)/पैतीस-2-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. आयुक्त, सहारनपुर मण्डल/ आगरा मण्डल/ लखनऊ मण्डल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करने/योगदान कराने का कष्ट करें।
3. निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या), मण्डल कार्यालय सहारनपुर/आगरा/लखनऊ।
6. सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया स्थानान्तरित अधिकारी के नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में आगामी माह जून, 2018 का वेतन आहरित न किया जाय।
7. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश की प्रति सम्बन्धित अधिकारियों को हस्तगत कराकर उसकी पावती 03 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराये तथा उक्त आदेश का अनुपालन एक सप्ताह के भीतर कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
9. सम्बन्धित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी (आहरण-वितरण अधिकारी) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित अधिकारी का माह जून, 2018 का वेतन आहरित न किया जाय।
10. सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।